न्यायालयः मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी – कालूराम (आर.जे.एस.)

नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या – 27/2016

CIS Reg. No. – CRI. CASE/1293/2016

CNR No. : RJJH020002982016

राजस्थान राज्य बनाम तेजपाल वगैरह

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्याः 196/2015, पुलिस थाना पिलानी

अपराध अन्तर्गत धाराः 420, 406, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता एवं 3/4, 5, 6 ईनामी चिट व धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम, 1978

भाग–प्रथम

A

परिवादिया	कविता पत्नी मदन सिंह, निवासी झेरली, पुलिस थाना पिलानी, जिला झुंझुनूं (राज.)
प्रस्तुतकर्ता	राजस्थान राज्य जरिये अभियोजन अधिकारी
अभियुक्तगण का नाम व पता	1. तेजपाल पुत्र प्रहलाद राम नूनियां, (**दिनांक 06.11.2019 को कार्यवाही उपशनित**) 2. महेश कुमार पुत्र सुरेश कुमार, 3. सुरेंद्र पुत्र प्रहलाद जाट, निवासीगण नूनियां गोठड़ा, तहसील चिड़ावा, जिला झुंझुनूं (राज.) **(दिनांक 08.04.2021 को कार्यवाही उपशमनित)**
राज्य की ओर से	श्री राजपाल महला, अभियोजन अधिकारी
अधिवक्ता अभियुक्त महेश कुमार	श्री अशोक कुमार शर्मा

B

अपराध की दिनांक	23.08.2007
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	02.06.2015
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	14.01.2016
आरोप विरचित किये जाने की दिनांक	29.09.2016
साक्ष्य प्रारंभ की दिनांक	07.12.2016
निर्णय आरक्षित किये जाने की दिनांक	05.03.2026
निर्णय दिनांक	12.03.2026
दण्डादेश की दिनांक	––

C

अभियुक्त का विवरण

क्र. सं.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा होने की दिनांक	अपराध अंतर्गत धारा	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध	पारित दण्डादेश	धारा–428 जाब्ता फौजदारी के उद्देश्य के लिए अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि
01	महेश कुमार	10.11.2015	09.06.2020	420, 406, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता 3/4,5,6 ईनामी चिट व धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधिनियम, 1978	दोषमुक्त	--	--

<u>भाग–द्वितीय</u>

<u>अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाहान की सूची</u>

अ–अभियोजन गवाहान

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
पी.डब्ल्यू. 1	रोहताश	गवाह फर्द जब्ती असल बॉण्ड प्रिया परिवार कम्पनी
पी.डब्ल्यू. 2	खेमचंद	स्वतंत्र गवाह
पी.डब्ल्यू. 3	विजय सिंह	स्वतंत्र गवाह
पी.डब्ल्यू. 4	विजय कुमार	स्वतंत्र गवाह
पी.डब्ल्यू. 5	कविता देवी	ताईद एफआईआर व फर्द जब्ती असल बॉण्ड
पी.डब्ल्यू. 6	अंकित	स्वतंत्र गवाह
पी.डब्ल्यू. 7	भरत सिंह	फर्द जब्ती असल बॉण्ड प्रिया परिवार कम्पनी

Authenticated Document

पी.डब्ल्यू. 8	गणेश नाथ	हालात तफ्तीशी

ब–बचाव गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
––	––	––

स–न्यायालय गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
–––		

अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श

अ–अभियोजन प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
01	प्रदर्श पी 01 लगायत पी 04	असल बॉण्ड
02	प्रदर्श पी 05	फर्द जब्ती असल बॉण्ड
03	प्रदर्श पी 06	परिवाद
04	प्रदर्श पी 07	बयान अंकित कुमार अंतर्गत धारा 161 दप्रसं
05	प्रदर्श पी 08	प्रथम सूचना रिपोर्ट
06	प्रदर्श पी 09	गिरफ्तारी प्रपत्र अभियुक्त महेश कुमार
07	प्रदर्श पी 10	गिरफ्तारी प्रपत्र अभियुक्त तेजपाल

ब–बचाव प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
––		

स–न्यायालय प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
––		

द–भौतिक वस्तुएं

क्र.सं.	भौतिक वस्तु नंबर	विवरण
	––	––

–निर्णय–

Authenticated Document

दिनांक – 12 मार्च, 2026

1. प्रकरण में दौराने विचारण अभियुक्तगण तेजपाल एवं सुरेंद्र की मृत्यु हो जाने के कारण उक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध क्रमशः दिनांक 06.11.2019 एवं 08.04.2021 को दाण्डिक कार्यवाही उपशमनित की जा चुकी है। प्रकरण में अभियुक्त महेश कुमार की हद तक निर्णय किया जा रहा है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 22.04.2015 को परिवादिया कविता ने तेजपाल सिंह, सुरेंद्र सिंह एवं रविन्द्र पूनियां के विरूद्ध न्यायालय में एक परिवाद इस आशय का पेश किया कि अभियुक्त संख्या 3 रविंद्र पूनियां दिनांक 20.08.2007 को परिवादिया के घर ग्राम झेरली आया व 6800/– रूपये जमा करने पर कम्पनी प्रिया परिवार होम स्टडी प्रा. लि. द्वारा पांच वर्ष पश्चात लाभांश 1,00,000/– रूपये कम्पनी अदा करने की बात कही। अभियुक्त नम्बर 3 के कहने पर परिवादिया ने दिनांक 23.08.2007 को अभियुक्त संख्या 3 को स्वयं, पुत्र प्रदीप, पुत्री ललिता एवं पति मदन सिंह प्रत्येक के 6800/– रूपये दे दिए। अभियुक्त नम्बर 3 ने परिवादिया को इन सभी रूपयों की सदस्य सुरक्षा सुरक्षा प्रमाण पत्र व प्राप्ति रसीद दी। परिवादिया ने 5 वर्ष पश्चात अपने रूपये एवं लाभांश प्रत्येक के एक लाख रूपये की मांग की तो आजकल का बहाना बनाते रहे व दिनांक 10.03.2015 को अभियुक्तगण ने रकम देने से मना कर दिया। उक्त परिवाद धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानानुसार अग्रिम अनुसंधान हेतु पुलिस थाना, पिलानी को भिजवाए जाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 196/2015 अंतर्गत धारा 420, 406 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 4, 5, 6 ईनामी चिट व धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधिनियम, 1978 में दर्ज कर बाद अनुसंधान अभियुक्तगण तेजपाल, सुरेन्द्र एवं महेश कुमार के विरूद्ध आरोप पत्र अंतर्गत धारा 420, 406, 120बी भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 4, 5, 6 ईनामी चिट व धन

Authenticated Document

परिचालन स्कीम पाबंदी अधिनियम, 1978 में न्यायालय में पेश किया गया।

3. पत्रावली न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिलानी से अंतरित होकर दिनांक 22.01.2016 को इस न्यायालय को प्राप्त हुई।

4. अभियुक्तगण तेजपाल, सुरेन्द्र एवं महेश कुमार के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 420, 406, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता एवं 4, 5, 6 ईनामी चिट व धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधिनियम, 1978 में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

5. अभियुक्त महेश कुमार को धारा 420, 406, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता एवं 3/4, 5, 6 ईनामी चिट व धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधिनियम, 1978 का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

6. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण को साबित करने के लिए उपरोक्तानुसार वर्णित गवाहों के बयान लेखबद्ध करवाये गये व उपरोक्तानुसार वर्णित दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये।

7. अभियुक्त महेश कुमार को धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत परीक्षित किया गया जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन की साक्ष्य को गलत होना बताते हुए साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना जाहिर करते हुए कथन किया कि कम्पनी विशुद्ध रूप से ऑनलाईन प्रशिक्षण का कार्य करती थी। निवेश के लिए कभी किसी से कोई राशि नहीं ली गई तथा उसे झूठा फंसाया गया है।

8. बहस अंतिम उभयपक्ष सुनी गई।

9. दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी की ओर से तर्क दिए गए कि पत्रावली पर प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होता है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध घोषित किया जावे।

Authenticated Document

10. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त महेश कुमार की ओर से तर्क दिया गया कि प्रकरण में परिवादिया कविता की ओर से पेश परिवाद में अभियुक्त महेश कुमार के विरूद्ध किसी भी रूप में कोई भी कथन नहीं किए गए हैं। अभियुक्त महेश कुमार की घटना में संलिप्तता नहीं बताई है। परिवादिया द्वारा राशि रविंद्र पूनियां नामक व्यक्ति को दिया जाना बताया है, जो कि प्रकरण में अभियुक्त नहीं है। अन्य गवाहान की ओर से कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है। कम्पनी को अनुसंधानकर्ता ने अभियुक्त नहीं बनाया है। अभियुक्त महेश कुमार को घटना से गलत तथ्यों के आधार पर जोड़ा गया है। लिहाजा अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित किया जावे।

11. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संबंधित विधि का अध्ययन एवं परिशीलन किया गया। प्रकरण के निस्तारण के लिए न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि:–

1. क्या अभियुक्त महेश कुमार ने दिनांक 23.08.2007 को मौजा मौजा झेरली में अन्य अभियुक्त के साथ मिलकर आपराधिक षडयंत्र कारित कर प्रिया होम स्टडी प्राईवेट लि. में 6800/– रूपये जमा करवाकर सदस्य बनने पर कम्पनी से मिलने वाले लाभांशों का झांसा देकर प्रवंचित कर कपटपूर्वक व बेईमानी से व्यक्तियों को जोड़ा तथा छलपूर्वक उत्प्रेरित कर उनके द्वारा परिदत्त किए गए रूपये जो कि लाभांश आदि प्राप्त करने हेतु न्यस्त किए गए थे, को बेईमानीपूर्वक तरीके से अपने उपयोग में संपरिवर्तित किया व लाभांश व राशि अदा नहीं करके आपराधिक न्यास भंग किया?

2. क्या अभियुक्त महेश कुमार ने उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर प्रिया होम स्टेडी प्राईवेट लिमिटेड के माध्यम से धन परिचालन स्कीम का संचालन करने के लिए अनेक व्यक्तियों से रूपये लेकर उक्त स्कीम में सहभागिता के लिए या अन्यथा उक्त

Authenticated Document

स्कीम में भाग लेने के लिए तथा उक्त स्कीम के तहत धन प्राप्त करने की दिशा में एनरोल कर सदस्य बनाए तथा उक्त कम्पनी के नाम से विभिन्न प्रकार के दस्तावेज छपवाकर उनका प्रकाशन व वितरण किया?

3. यदि, हां तो अभियुक्त को क्या सजा दी जावे?

12. विचारणीय बिन्दु के संबंध में अभियोजन साक्ष्य का निम्नलिखित बिन्दुओं के साथ विवेचन किया जा रहा है।

<u>–प्रारम्भिक पृष्ठभूमि–</u>

13. विचारणीय बिन्दु के संबंध में पत्रावली का अवलोकन करें तो अभियोजन कहानी का प्रारम्भ परिवाद प्रदर्श पी. 06 से होता है, जिसमें परिवादिया कविता ने रविंद्र पूनियां के दिनांक 20.08.2007 को उसके घर पर आने, प्रिया होम स्टडी प्रा.लि. नामक कम्पनी में 6800/– रूपये जमा करवाने पर पांच वर्ष पश्चात 1,00,000/– रूपये लाभांश सहित मिलने की कहने, अभियुक्त रविंद्र पूनियां के कहने पर दिनांक 23.08.2007 को स्वयं, पुत्री ललिता, पुत्र प्रदीप, पति मदन सिंह प्रत्येक के 6800/– रूपये अभियुक्त संख्या 3 रविंद्र पूनियां को देने, पांच वर्ष बाद रूपये व लाभांश की मांग करने पर आज कल का बहाना बनाने, दिनांक 10.03.2015 को रकम देने से साफ मना कर देने पर परिवाद पेश किये जाने के तथ्य दर्शित किये हैं।

<u>–अभियोजन साक्ष्य का संक्षिप्त विवरण–</u>

14. अभियोजन की ओर से पेश साक्ष्य का अवलोकन करें तो परिवादिया पी.डब्ल्यू. 05 के रूप में परीक्षित हुई है, जिसने अपने सशपथ कथनों में परिवाद के अनुरूप ही कथन करते हुए दिनांक 20.08.2007 को रविंद्र पूनियां के उसके घर आने, प्रिया होम स्टडी लिमिटेड कम्पनी में 6800/– रूपये देने पर 5 साल बाद एक लाख रूपये का लाभांश मिलने की कहने पर उसके द्वारा 6800–6800/– रूपये चार लोगों स्वयं, बेटी

Authenticated Document

ललिता, बेटा प्रदीप एवं पति मदन सिंह के देने एवं वर्ष 2015 में पैसे देने से मना कर देने की साक्ष्य दी है। इसी प्रकार प्रकरण के अन्य गवाहान पी.डब्ल्यू. 02 खेमचंद, पी.डब्ल्यू. 03 विजय सिंह, पी.डब्ल्यू. 04 विजय कुमार ने अपने सशपथ बयानों में सारतः एक दूसरे के अनुरूप ही प्रिया परिवार के एजेंण्ट से परिवार के सदस्यों के नाम पर 6800/– रूपये या भिन्न राशि के बॉण्ड खरीदे जाने, कुछ समय बाद लाभांश मिलने, समय पूर्ण होने के बाद भी उन्हें उनकी मूल रकम नहीं लौटाने, ना ही कोई लाभांश या कार देने ना ही कम्प्यूटर शिक्षा देने तथा उनके साथ धोखाधड़ी कर उनके रूपये हड़प लेने के संबंध में कथन किए हैं। गवाह पी.डब्ल्यू. 01 रोहिताश ने अपने सशपथ बयानों में प्रदर्श पी. 01 लगायत पी. 04 बॉण्ड को जरिए प्रदर्श पी. 05 के जब्त किए जाने के संबंध में कथन किए हैं। गवाह पी.डब्ल्यू. 06 अंकित पक्षद्रोही गवाह है, जिसके द्वारा अभियोजन वृतांत की ताईद नहीं की गई है। गवाह पी.डब्ल्यू. 08 गणेश नाथ प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है, जिसके द्वारा अपने सशपथ बयानों में अनुसंधान बाबत की गई सिलसिलेवार कार्यवाही के संबंध में कथन किए गए हैं। बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाया है।

<u>–धारा 420, 406 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध का साथ साथ कारित होना–</u>

15. प्रकरण में परिवादिया की ओर से पेश परिवाद पर बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 420, 406 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध प्रमाणित पाया है। धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के लिए यह आवश्यक है कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को किसी कार्य को करने या विरत करने के लिए प्रवंचित किया जाता है तो वहां छल कारित करने का अपराध घटित होता है और उस छल के अग्रसर में किसी सम्पति का आदान प्रदान होता है तो वहां छल कारित कर सम्पति प्राप्त किए जाने के रूप में धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध घटित

Authenticated Document

होता है। धारा 406 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के लिए यह आवश्यक है कि जिस राशि के दुर्विनियोग का आरोप है व राशि संबंधित व्यक्ति के पास विधिवत रूप से कब्जे में प्राप्त हुई हो और विधिवत रूप कब्जे में प्राप्त होने के पश्चात उस राशि का उस व्यक्ति द्वारा दुर्विनियोग किया गया हो। धारा 420 व धारा 406 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के तत्व परस्पर एक दूसरे के विपरीत व विरोधाभासी हैं। यदि किसी व्यक्ति को प्रारंभ से ही प्रवंचित किया गया हो, वहां उस व्यक्ति के पास उस सम्पति का विधिवत कब्जा नहीं होगा और यदि किसी व्यक्ति को विधिवत कब्जा दिया गया तो उस व्यक्ति के लिए प्रारंभ से प्रवंचना कारित किए जाने का तथ्य समाहित नहीं होगा। दोनों अपराधों के आवश्यक तत्वों के अनुसार किसी भी रूप में धारा 420 व 406 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के तत्व एक ही घटना के संबंध में परस्पर समान रूप से एक साथ घटित नहीं हो सकते। न्यायिक विनिश्चय **Delhi Race Club (1940) Ltd. & Ors. Vs State of Uttar Pradesh & Anr. 2024 INSC 626** के मामले में माननीय उच्च्तम न्यायालय द्वारा यह मत प्रतिपादित किया गया है किः–

> 27. In our view, the plain reading of the complaint fails to spell out any of the aforesaid ingredients noted above. We may only say, with a view to clear a serious misconception of law in the mind of the police as well as the courts below, that if it is a case of the complainant that offence of criminal breach of trust as defined under Section 405 of IPC, punishable under Section 406 of IPC, is committed by the accused, then in the same breath it cannot be said that the accused has also

committed the offence of cheating as defined and explained in Section 415 of the IPC, punishable under Section 420 of the IPC.

16. माननीय उच्चतम न्यायालय के इस विनिश्चय के अनुसार धारा 420 व 406 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध किसी भी रूप में एक साथ होने योग्य नहीं है। अभियुक्त पर धारा 406 व 420 भारतीय दण्ड संहिता दोनों अपराधों के करने का आरोप हैं। अतः अभियुक्त के विरूद्ध धारा 420 या 406 भारतीय दण्ड संहिता में से कौन से अपराध के तत्व साबित है या नहीं, इस संबंध में निर्णय के अग्रेतर भाग में पृथक–पृथक विवेचन किया जा रहा है।

– अभियुक्त द्वारा प्रवंचना कारित कर राशि प्राप्त किए जाने का तथ्य–

17. इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन करें तो अभियोजन कहानी परिवाद प्रदर्श पी. 06 से प्रारम्भ होती है जिसमें परिवादिया ने दिनांक 20.08.2007 को परिवाद में नामित रविंद्र पूनियां नामक व्यक्ति के उसके घर पर आने, दिनांक 23.08.2007 को स्वयं, पति मदन सिंह, पुत्री ललिता एवं पुत्र प्रदीप प्रत्येक के 6800/– रूपये रविंद्र पूनियां को देने और अभियुक्तगण द्वारा रसीद जारी किए जाने के तथ्य दर्शित करते हुए अभियुक्तगण द्वारा लाभांश के रूपये नहीं दिया जाना बताया है। परिवादिया न्यायालय में गवाह पी.डब्ल्यू. 05 के रूप में परीक्षित हुई है जिसने अपने सशपथ बयानों में परिवाद प्रदर्श पी. 06 के अनुरूप ही कथन किए हैं। परिवादिया की ओर से अपनी मुख्य परीक्षा में भी रविंद्र पूनियां को ही राशि दिया जाना बताया है। परिवादिया स्पष्टता के साथ जिरह में कम्पनी के निदेशक को नहीं जानने, तेजपाल व सुरेंद्र से कभी नहीं मिलने, अभियुक्त महेश से कभी नहीं मिलने, अभियुक्त महेश द्वारा कोई प्लान, प्रलोभन व लालच नहीं दिए जाने व अभियुक्त महेश कुमार द्वारा कोई धोखाधड़ी नहीं किए जाने के तथ्य को स्वीकार किया है। प्रथमतः तो अभियुक्त महेश

कुमार के विरूद्ध परिवादिया ने अपने परिवाद में कोई तथ्य दर्शित नहीं किए हैं। परिवादिया ने अपने सशपथ बयानों में अभियुक्त महेश कुमार के विरूद्ध कोई कथन नहीं किए हैं। परिवादिया ने जिरह में स्पष्टता के साथ अभियुक्त महेश कुमार द्वारा किसी प्रकार की प्रवंचना कारित कर कोई प्रलोभन नहीं दिया जाना बताते हुए अभियुक्त द्वारा उसके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं किए जाने व अभियुक्त महेश कुमार से मिलने तक के तथ्य से परिवादिया इनकार करती है। परिवादिया की ओर से किसी भी रूप में अभियुक्त महेश कुमार के विरूद्ध उसके साथ कोई प्रवंचना कारित किए जाने के संबंधित कोई भी कथन नहीं किए हैं। केवल मात्र रविंद्र पूनियां नामक व्यक्ति द्वारा राशि प्राप्त किए जाने के कथन परिवादिया ने किए हैं, रविंद्र पूनियां प्रश्नगत प्रकरण में अभियुक्त नहीं है। जब परिवादिया की ओर किसी रूप में अभियुक्त महेश कुमार के विरूद्ध कोई कथन अपने परिवाद व अपने शपथ बयानों में नही किये है, वहां किसी भी रूप में यह तथ्य साबित हुआ नही माना जा सकता कि अभियुक्त महेश कुमार द्वारा परिवादिया को प्रवंचित किया हो।

18. अन्य गवाह पी.डब्ल्यू. 07 भरत सिंह की ओर से अपनी बेटी व दामाद द्वारा प्रिया परिवार कम्पनी में 6800–6800/– रूपये जमा करवाने के तथ्य दर्शित किए हैं। जिरह में गवाह स्पष्टता के साथ प्रिया परिवार के संचालकों को को जानने व मिलने से इनकार करता है। अभियुक्त महेश को नहीं पहचानने एवं कोई धनराशि महेश को नहीं दिए जाने व अभियुक्त महेश द्वारा कोई धोखाधड़ी नहीं किए जाने के तथ्य दर्शित किए हैं। इस प्रकार गवाह भरत सिंह की ओर से किसी भी रूप में अभियुक्त महेश कुमार के विरूद्ध कोई कथन नहीं किए गए हैं।

19. अभियोजन की ओर से पेश अन्य गवाह पी.डब्ल्यू. 02 खेमचंद की ओर से सन 2007 में तेजपाल नूनियां, महेश, सुरेंद्र सिंह नूनियां के द्वारा जगह जगह पर सेमीनार किए जाने, 6800/– रूपये जमा करवाने पर

Authenticated Document

तीन वर्ष पश्चात 25,000/– रूपये देने का वादा करने, उसके द्वारा स्वयं, पत्नी सुशीला, पुत्र अभिषेक, पुत्री दीपिका के नाम से बॉण्ड खरीदने और बाद में कम्पनी की ओर से कोई लाभ प्राप्त नहीं होने के तथ्य दर्शित किए हैं। गवाह की ओर से जिरह में पैसा कैशियर को देने व लिपिक द्वारा उसे रसीद दिया जाना बताया है। इस गवाह की ओर से मुख्य कथन में अभियुक्तगण को राशि दिया जाना बताया है लेकिन गवाह की ओर से किसी भी रूप में कोई भी दस्तावेज को पेश कर प्रदर्शित नहीं कराया है, जिसके आधार पर मौखिक कथन स्वीकार योग्य माना जाये कि उसकी ओर से कोई राशि प्रिया परिवार कम्पनी में जमा करवाई गई। इस गवाह की ओर से न केवल अपनी मुख्य परीक्षा के समर्थन में कोई दस्तावेज पेश नहीं किए गए हैं, बल्कि ऐसा कोई तथ्य दर्शित नहीं किए गए हैं कि इस गवाह की ओर से अपने साथ हुई घटना बाबत कोई रिपोर्ट पेश की गई हो।

20. अन्य गवाह पी.डब्ल्यू. 03 विजय सिंह की ओर से अपने सशपथ बयानों में तेजपाल नूनियां, सुरेंद्र नूनियां, महेश नूनियां द्वारा विज्ञापन किए जाने और विज्ञापन देखकर उसके द्वारा 6800/– रूपये देकर बॉण्ड लिए जाने व उसको टाईप सिखाने की कहने, मंथली चैक व तीन साल बाद 25 हजार रूपये व मोटरसाईकिल देने व बाद में कुछ नहीं मिलने के तथ्य दर्शित किए हैं। इस गवाह की ओर से केवल मात्र मौखिक कथन किए गए हैं। गवाह की ओर से किसी प्रकार की न तो कोई बॉण्ड पेश कर प्रदर्शित करवाए गए हैं और न ही कोई रसीद पेश कर प्रदर्शित कराई गई जिसके आधार पर यह माना जाए कि गवाह की ओर से कोई राशि अभियुक्त को दी गई हो। गवाह की ओर से अपने साथ हुई घटना बाबत कोई रिपोर्ट कार्यवाही हेतु दी हो, ऐसा कोई कथन गवाह की ओर से अपनी मुख्य परीक्षा में दर्शित नहीं किया है और न ही इस संबंध में कोई दस्तावेज पेश कर प्रदर्शित करवाया गया है।

Authenticated Document

21. गवाह पी.डब्ल्यू. 04 विजय कुमार अपने सशपथ बयानों में सन् 2007 में तेजपाल नूनियां, सुरेंद्र नूनियां व महेश कुमार नूनियां की प्रिया परिवार कम्पनी के अखबारों में विज्ञापन आने, लोगों द्वारा बताने कि 6800/– रूपये में सदस्य बनने पर तीन साल बाद 25,000/– रूपये व एक लाख रूपये का बीमा मिलने व कम्प्यूटर शिक्षा मिलने, तीनों से मिलकर उसके द्वारा 6800/– रूपये जमा करवाने पर भी लाभांश व रूपये नहीं लौटाने की कहकर धोखाधड़ी किए जाने के तथ्य दर्शित किए हैं। प्रथमतः तो गवाह की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज अथवा बॉण्ड पेश कर प्रदर्शित नहीं करवाया गया है जिसके आधार पर गवाह को बॉण्ड जारी किए जाने या गवाह द्वारा राशि दिए जाने के तथ्य को स्वीकार योग्य माना जाए। गवाह की ओर से जिरह में अभियुक्तगण से व्यक्तिगत रूप से नहीं मिलने के तथ्य को भी स्वीकार किया है। स्वयं गवाह जिरह में राशि गिरधारी लाल को दिया जाना बताता है, जबकि अपनी मुख्य परीक्षा में राशि अभियुक्तगण को दिया जाना बताता है। गवाह राशि दिये जाने के संबंध में विरोधाभाषी कथन करता है। प्रकरण में गिरधारीलाल नाम का कोई व्यक्ति अभियुक्त नही है। अभियोजन का भी कोई ऐसा अभिवाक नही है कि गवाह विजय कुमार ने राशि गिरधारीलाल को दी जानी बताई है, वह राशि किसी रूप में अभियुक्त महेश कुमार द्वारा गिरधारीलाल से प्राप्त कही गई हो।

22. तथ्य यह भी महत्वपूर्ण है कि इस गवाह विजय कुमार की ओर से जिरह में इस पत्रावली के अलावा अन्य 15–20 पत्रावलियों में बयान दिए जाने और अभियुक्तगण के विरूद्ध अक्सर न्यायालय में बयान देने के लिए आते रहने के तथ्य को स्वीकार किया है। प्रथमतः तो गवाह की ओर से कोई दस्तावेज पेश नहीं किए गए हैं, केवल मात्र मौखिक कथन किए गए हैं एवं गवाह ने अभियुक्तगण से जानकारी तक से इनकार किया है। द्वितीयतः गवाह ने 15–20 बार अभियुक्तगण के विरूद्ध बयान दिया जाना बताया है,

Authenticated Document

वहां इस गवाह की विश्वसनीयता किसी भी रूप में स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होती है। इस गवाह के कथनों से अभियुक्त महेश कुमार द्वारा गवाह के साथ कोई प्रवंचना कारित किए जाने का तथ्य साबित हुआ नहीं माना जा सकता है।

23. तथ्य यह भी महत्वपूर्ण है कि परिवादिया कविता सिंह के अतिरिक्त अभियोजन की ओर से परीक्षित अन्य महत्वपूर्ण गवाहान द्वारा स्वयं को प्रवंचित किए जाने के संबंध में किसी प्रकार की रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई है। उक्त गवाहान की साक्ष्य दौराने अनुसंधान साक्षी के रूप में ली गई है। यदि वास्तविक रूप से उक्त गवाहान से अभियुक्त द्वारा प्रवंचना की जाती तो उक्त गवाहान इस संबंध में आवश्यक विधिक कार्यवाही करते, जो उनकी ओर से नहीं की गई है। इससे भी गवाह पी.डब्ल्यू. 02 खेमचंद, गवाह पी.डब्ल्यू. 03 विजय सिंह, गवाह पी.डब्ल्यू. 4 विजय कुमार की साक्ष्य किसी रूप में विश्वास योग्य नहीं रह जाती है।

24. गवाह पी.डब्ल्यू. 06 अंकित पक्षद्रोही घोषित हुआ है, जिसकी ओर से अभियुक्त महेश कुमार के विरूद्ध किसी प्रकार के कोई कथन नहीं किए गए हैं।

25. उपरोक्त विवेचनानुसार जब परिवादिया किसी रूप में अभियुक्त के द्वारा प्रवंचना कारित किये जाने के संबंध में कोई कथन नहीं करती है, राशि अभियुक्त को नहीं दिया जाकर किसी अन्य व्यक्ति रविन्द्र पूनिंया को दिया जाना बताती है, अन्य गवाहों की ओर से केवल मात्र मौखिक कथन किये गये है, किसी प्रकार के दस्तावेज राशि जमा करवाये जाने बाबत पेश नहीं किये है, अपने साथ हुई घटना की कोई रिपोर्ट नहीं दी है, वहां किसी भी रूप में अभियुक्त महेश कुमार द्वारा प्रवंचना कारित करते हुए राशि प्राप्त किये जाने का तथ्य साबित नहीं माना जा सकता है।

– आपराधिक न्यास भंग का तथ्य –

Authenticated Document

26. इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन करें तो परिवादी एवं शेष गवाहों की साक्ष्य से पूर्व विवेचनानुसार किसी रूप में अभियुक्त महेश कुमार द्वारा प्रवंचना कारित कर राशि प्राप्त किये जाने का तथ्य साबित नहीं हुआ है। जब अभियुक्त महेश कुमार द्वारा राशि प्राप्त किये जाने का तथ्य साबित नहीं है, वहां अभियुक्त द्वारा न्यस्त राशि के दुर्विनियोग का तथ्य भी अपने आप में नासाबित हो जाता है।

–धन परिचालन स्कीम को संपरिवर्तित/संचलित करना, सामग्री का प्रकाशन आदि व इस हेतु निदेशक का दायित्व–

27. अभियुक्त पर आरोपित अपराध धारा 3/4, 5, 6 ईनामी चिट व धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधिनियम, 1978 के संबध में पत्रावली का अवलोकन करें तो अनुसंधानकर्ता पी.डब्ल्यू. 08 गणेश नाथ द्वारा अपने सशपथ कथनों में धारा 3/4, 5, 6 ईनामी चिट व धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधिनियम, 1978 के तहत अपराध प्रमाणित माने जाने के संबंध में कथन किए हैं। धारा 3 ईनामी चिट व धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधिनियम, 1978 के तहत कोई व्यक्ति इनामी चिट या धन परिचालन स्कीम का सम्प्रवर्तन या संचालन नहीं करेगा या ऐसी किसी चिट या स्कीम के सदस्य के रूप में अपना नाम दर्ज नहीं करायेगा या उसमें अन्यथा भाग नहीं लेगा या ऐसी चिट स्कीम के अनुसरण में कोई धन प्राप्त नहीं करेगा या प्रेषित नहीं करेगा। इस धारा के तहत अपराध के पूर्ण होने के लिए यह आवश्यक है कि कोई व्यक्ति किसी चिट या स्कीम को संचालित करे या कराए या उसमें सदस्य के रूप में भाग ले या कोई धन प्राप्त करे या कराए। परिवादी व अन्य गवाहों के शपथ कथन पूर्व विवेचनानुसार किसी रूप में प्रवंचना के तथ्य को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, वहां ऐसे कथनों के आधार पर किसी रूप में यह तथ्य भी साबित हुआ नहीं माना जा सकता कि अभियुक्त द्वारा किसी स्कीम का संचालन किया हो। जब अभियुक्त द्वारा किसी स्कीम का संचालन करना या करवाना साबित नहीं

Authenticated Document

है, वहां अभियुक्त द्वारा कोई धन प्राप्त करना या करवाना या ऐसी किसी स्कीम में शामिल होने का तथ्य भी अपने आप में नासाबित हो जाता है।

28. अनुसंधानकर्ता पी.डब्ल्यू. 08 गणेश नाथ की ओर से दौराने अनुसंधान बॉण्ड प्रदर्श पी 01 से प्रदर्श पी 04 जप्त किये जाने के संबंध में कथन किये है। पत्रावली के अवलोकन से ऐसा कोई तथ्य दर्शित नहीं होता जो बॉण्ड अनुसंधानकर्ता की ओर से जब्त किया जाना बताया गया है, वह बॉण्ड किसी रूप में अभियुक्त महेश कुमार की ओर से तैयार किया गया हो या उसका प्रकाशन अभियुक्त महेश कुमार की ओर से किया गया हो या बॉण्ड अभियुक्त द्वारा जारी किया गया हो। जब अभियोजन की ओर से पेश साक्ष्य से ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं होता है कि अभियुक्त महेश कुमार द्वारा किसी रूप में चिट या धन परिचालन स्कीम के रूप में कोई दस्तावेज तैयार किया गया हो, वहां किसी भी रूप में यह नहीं माना जा सकता है कि अभियुक्त महेश कुमार द्वारा किसी रूप में चिट या धन परिचालन स्कीम हेतु कोई दस्तावेज तैयार किए गए हो।

29. अनुसंधानकर्ता की ओर से किसी भी रूप में कम्पनी को आरोपी नहीं बनाया गया है। दौराने अनुसंधान कम्पनी को नामित करते हुए अपराध प्रमाणित पाया हो, ऐसा कोई तथ्य अनुसंधानकर्ता की ओर से दर्शित नहीं किया गया है। अभियुक्त द्वारा परिवादी व अन्य सदस्यगण को इनामी चिट फण्ड आदि के लिए प्रेरित करने का कोई भी तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अभियुक्त द्वारा किसी प्रकार की स्कीम के प्रकाशन संबंधी दस्तावेज प्रकाशित किए जाने का तथ्य पत्रावली पर नहीं है और कम्पनी को किसी रूप में आरोपी के रूप में नामित किया गया हो, ऐसा भी कोई दस्तावेज पत्रावली पर नहीं है, वहां किसी रूप में कम्पनी के निदेशक या अन्य प्राधिकार के आधार पर अभियुक्त महेश कुमार द्वारा कोई आपराधिक कृत्य किया जाना नहीं माना जा सकता।

<u>–निष्कर्ष–</u>

Authenticated Document

30. उपरोक्त विवेचनानुसार अभियोजन की ओर से यह तथ्य किसी रूप में युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं किया गया है कि अभियुक्त महेश कुमार ने दिनांक 23.08.2007 को मौजा झेरली में अन्य अभियुक्त के साथ मिलकर आपराधिक षडयंत्र कारित कर प्रिया होम स्टडी प्राईवेट लि. में 6800/– रूपये जमा करवाकर सदस्य बनने पर कम्पनी से मिलने वाले लाभांशों का झांसा देकर प्रवंचित कर कपटपूर्वक व बेईमानी से व्यक्तियों को जोड़ा तथा छलपूर्वक उत्प्रेरित कर उनके द्वारा परिदत्त किए गए रूपये जो कि लाभांश आदि प्राप्त करने हेतु न्यस्त किए गए थे, को बेईमानीपूर्वक तरीके से अपने उपयोग में संपरिवर्तित किया व लाभांश व राशि अदा नहीं करके आपराधिक न्यास भंग किया एवं अभियुक्त प्रिया होम स्टेडी प्राईवेट लिमिटेड के माध्यम से धन परिचालन स्कीम का संचालन करने के लिए अनेक व्यक्तियों से रूपये लेकर उक्त स्कीम में सहभागिता के लिए या अन्यथा उक्त स्कीम में भाग लेने के लिए तथा उक्त स्कीम के तहत धन प्राप्त करने की दिशा में एनरोल कर सदस्य बनाए तथा उक्त कम्पनी के नाम से विभिन्न प्रकार के दस्तावेज छपवाकर उनका प्रकाशन व वितरण किया। लिहाजा अभियुक्त महेश कुमार को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 420, 406, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3/4, 5, 6 ईनामी चिट व धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधिनियम, 1978 में दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–आदेश–

31. परिणामतः अभियुक्त महेश कुमार पुत्र सुरेश कुमार, निवासी नूनियां गोठड़ा, तहसील चिड़ावा, जिला झुंझुनूं (राज.) को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 420, 406, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता एवं अपराध अंतर्गत धारा 3/4, 5, 6 ईनामी चिट व धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधिनियम, 1978 में दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त के

Authenticated Document

न्यायालय में उपस्थिति बाबत निष्पादित जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

(कालूराम)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
झुंझुनूं (राज.)

32. निर्णय आज दिनांक 12 मार्च, 2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर विवृत्त न्यायालय में उद्घोषित कर हस्ताक्षरित किया गया।

(कालूराम)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
झुंझुनूं (राज.)

YOGESH KUMAR Digitally signed by YOGESH KUMAR

Authenticated Document